झाँसी पुलिस

प्रेस नोट

थाना-चिरगाँव, झाँसी

दिनांक- 13.11.2026

थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 श्री अरविन्द कुमार व क्षेत्राधिकारी मोंठ श्री सुनील कुमार शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना चिरगाँव श्री बलिराज शाही के नेतृत्व में-

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 12.11.2026 को थाना चिरगाँव पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-02 झाँसी द्वारा जारी गैर-जमानती वारण्ट (NBW) केस नं0 2192/14 मु0अ0सं0 282/12 धारा 279,337,338,427,304ए भादवि0 के अनुपालन में थाना स्थानीय से उ0नि0 जितेन्द्र कुमार मय हमराह का0 राकेश कुमार व का0 मयंक रत्न के साथ वारण्टी परमानन्द परिहार उर्फ परमू पुत्र घनश्याम उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम विछौदना, थाना-भाण्डेर, जिला-दतिया, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

वारण्टी का विवरण-

1. परमानन्द परिहार उर्फ परमू पुत्र घनश्याम उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम विछौदना, थाना-भाण्डेर, जिला-दतिया, मध्य प्रदेश

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार,
2. का0 833 राकेश कुमार,
3. का0 1555 मयंक रत्न।